भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2811

17 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बच्चों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

2811. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि शिशु आहार, बेबी मिल्क पाउडर, दूध, फल-सब्जियों तथा बच्चों के लिए अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं, यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में देश एवं विशेषरूप से बिहार राज्य में दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बच्चों के लिए आवश्यक खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष मानक निर्धारित किए हैं; और

(ग) बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कठोर दंडात्मक एवं निगरानी संबंधी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य सामग्री हेतु विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

एफएसएसएआई विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।

एफएसएसएआई ने शिशु आहार, बेबी मिल्क पाउडर, दूध, फल और सब्जियां तथा अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों सहित सभी खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित किए हैं, जिनमें शिशु आहार और फार्मूलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 भी शामिल हैं। ये मानक पूरे देश भर में एकसमान हैं। शिशु फार्मूला, बेबी मिल्क पाउडर, दूध, फल और सब्जियां तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित सभी खाद्य उत्पादों के लिए पिछले 3 वर्षों के प्रवर्तन कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामले	आपराधिक मामले
			शास्ति सहित निर्णित मामले	दोषसिद्ध मामलों की संख्या
2024-25	170535	34388	30142	1265
2023-24	170513	33808	29586	1161
2022-23	177511	44626	28464	1188

इसके अतिरिक्त, पिछले 3 वर्षों के बिहार राज्य का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामले	आपराधिक मामले
			शास्ति सहित निर्णित मामले	दोषसिद्ध मामलों की संख्या
2024-25	2863	124	25	0
2023-24	2806	126	79	0
2022-23	2935	92	39	0
